आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Fishermen Welfare and Fisheries Development Department, Madhya Pradesh

Entrepreneur Model Cage Culture Scheme (90,000 cages) under Madhya Pradesh Integrated Fisheries Policy 2026

मध्यप्रदेश अपनी एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के तहत उद्यमियों, समूहों और फर्मों को चयनित जलाशयों में केज कल्चर लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसमें केज की कोई सीमा नहीं है और लीज 15 वर्ष की है।

क्या मिल सकता है

चयनित निवेशकों को केज कल्चर के लिए जलाशय का जलक्षेत्र 15 वर्ष की लीज पर मिलता है और केज की संख्या की कोई सीमा नहीं है। फिश सीड हैचरी जैसी जुड़ी इकाइयों को PMMSY से 40 से 60 प्रतिशत अनुदान या FIDF के तहत 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन मिल सकता है। जैसे 25 लाख रुपये इकाई लागत की हैचरी पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 15 लाख रुपये तथा अन्य को 10 लाख रुपये का अनुदान मिल सकता है। लैंडिंग सेंटर, रोग निदान प्रयोगशाला और मोबाइल लैब विभाग या महासंघ बनाएगा।

किसके लिए है

पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियाँ, परंपरागत मछुआरे और मछुआ समूह, स्व-सहायता समूह, मत्स्य पालक उत्पादक संगठन, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमी, अन्य वर्गों के उद्यमी तथा फर्म, कंपनी और LLP।

मुख्य शर्तें

- ऊपर बताए सात प्रकार के आवेदक आवेदन कर सकते हैं, और एक आवेदक कितने केज लगाए इसकी कोई सीमा तय नहीं है।
- जलक्षेत्र का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। अधिक आवेदन आने पर दिशा-निर्देश में दिया प्राथमिकता क्रम अपनाया जाता है, और एक ही वर्ग से अधिक आवेदन हों तो लीज रेंट पर सीमित निविदा से तय होता है।
- 100 से 1000 हेक्टेयर के जलाशय मत्स्य विभाग और उससे बड़े जलाशय मत्स्य महासंघ देखता है। कलेक्टर द्वारा गठित समिति आवेदनों की जाँच करती है।
- कार्यादेश के 18 माह में केज लगाने होंगे, और उचित कारण पर अधिकतम 6 माह और मिल सकते हैं।
- जुड़ी इकाइयों के लिए निवेशक MSME की युवा उद्यमी योजना का 40 प्रतिशत अनुदान या मत्स्य विभाग की योजना में से किसी एक का ही लाभ ले सकता है।

दस्तावेज़

- उद्यमी मॉडल के लिए आवेदन पत्र
- उद्यमी मॉडल के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना देखते रहें। विभाग ने उद्यमी मॉडल की सूचनाएँ, जिनमें एक 28 अप्रैल 2026 की है, और उपयुक्त जलाशयों की सूचियाँ प्रकाशित की हैं।
2. विभाग की वेबसाइट पर दिए प्रारूपों में उद्यमी मॉडल का आवेदन पत्र भरें और परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करें।
3. उन्हें सूचना में बताए अनुसार जमा करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति आवेदनों की जाँच करती है, और आवंटन की स्वीकृति संचालक मत्स्योद्योग या महासंघ के प्रबंध संचालक देते हैं।
4. नीति के प्रारूप में अनुबंध करें और कार्यादेश में बताई अवधि में केज स्थापित करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mpfisheries.gov.in/sites/default/files/madhya%20pradesh%20ekikrut%20mtsyodhyog%20neeti%202026%2090%2C000%20cages%20.pdf
आधिकारिक PDF: https://mpfisheries.gov.in/sites/default/files/madhya%20pradesh%20ekikrut%20mtsyodhyog%20neeti%202026%2090%2C000%20cages%20.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-fisheries-policy-2026-entrepreneur-cage-culture/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।